


दिल्ली



राजपत्र

Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

असाधारण
EXTRAORDINARY

दिल्ली, बुधवार अश्विन 19, 1989/आश्विन 27, 1911

DELHI, THURSDAY, OCTOBER 19, 1989/ASHWINA 27, 1911

भाग—IV

PART—IV

दिल्ली प्रशासन, दिल्ली
DELHI ADMINISTRATION DELHI

श्रम विभाग

प्रधियुक्त

दिनांक, 19 अक्टूबर, 1989

संख्या : भा. 27/130/89-सी.आई. एफ. /श्रम/10067 :—श्रम विभाग, भारत सरकार की दिनांक 14 फरवरी, 1956 की अधिनियम संख्या एच. एच. 108 के साथ एक्टिंग कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के कारखाना क्षेत्रों में कि दिल्ली राजपत्र में इस अधिनियम की प्रकाशन तिथि को संघ संघ के साथ अधिनियम के सभी उपबन्ध संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के संघ राज्य पर लागू होंगे जहां पर स्टील सेलिंग मिल तथा स्थायी संरचनात्मक संरचनाएं स्थापित हैं तथा दिल्ली की महत्त्वता से कार्य-प्रणाली में है अथवा विनिर्माण प्रणाल में समाविष्ट है यह अधिनियम

(2) इसमें कार्यरत व्यक्ति इसके स्वामी द्वारा नियोजित नहीं किये गये हैं, परन्तु उनके स्वामी की प्रवृत्ति से या फरार के अनुरोध कार्य कर रहे हैं। किन्तु विनिर्माण प्रणाल केवल स्वामी द्वारा अपने परिसर को महत्त्वता से नहीं चला जा रहा है।

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक के आदेश से तथा उनके नाम पर,
डी. मां. स्पॉलिया, सचिव (श्रम)

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 19th October, 1989

No.F.27(130)/89-CIF/Lab./10067.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), read with the Government

(1) विभाग 10 में कार्यरत व्यक्ति हैं, अथवा

of India, Ministry of Labour and Employment's notification No.S.O. 108 dated 14th February, 1956, the Lt. Governor of the Union Territory of Delhi hereby declares that on and from the date of publication of this notification in the Delhi Gazette, all the provisions of the said Act shall apply to any place in the Union Territory of Delhi, wherein steel rolling mills and chemical industrial establishments are located and are in working position, with the aid of power or are so ordinarily engaged in the manufacturing process, notwithstanding that :

- (i) The number of persons employed therein is less than ten, or
- (ii) The persons working therein are not employed by the owner thereof but are working with the permission of or under agreement with such owner :

Provided that the manufacturing process is not being carried on by the owner only with the aid of his family.

By order and in the name of the Lt. Governor of the Union Territory of Delhi,

D.M. SPOLIA, Secy. (Labour)

कार्यालय आयुक्त

आरक्ष सभ्यःण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

आदेश

दिनांक, 19 अक्टूबर, 1989

सं. प्र. 3(2)/9/आ.स.मं. (सं. व.मं.)/17386 :— दिल्ली विनियमन अधिनियम (वितरण) का विनियमन) आदेश 1981 के खंड 17 द्वारा प्रदात शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा आदेश संख्या प्र. 2(4)/68-73 सी. सी. आर. पी. एण्ड सी. (दिनांक 19 अक्टूबर, 1973 का संशोधन संशोधन करने में, मैं नरेंद्र प्रसाद, आयुक्त, आरक्ष एवं उपभोक्ता मामले, दिल्ली, संकलन संख्या 1 व 2 की सीमाओं को पुनः निर्धारित करना है, यथा :-

संख्या संख्या 1 :

पूर्व :- दिल्ली-यू.पी. सीमा पर रिंग रोड से मन्डोली गांव तक ।

पश्चिम :- दिल्ली-यू.पी. सीमा पर मन्डोली से लोनी रोड तक (पूर्व मोहलपुर) परत करवाली, हरिजन बस्ती सहित ।

पश्चिम :- लोनी रोड की पूर्वी दिशा पर दिल्ली-यू.पी. सीमा से जी. टी. रोड पर इसके जंक्शन तक फिर जी. टी. रोड की दक्षिणी दिशा पर शाहदरा पुलिस स्टेशन तक फिर एक कार्पनिक रोड के साथ रोड से शाहदरा की ओर से (शाहदरा) रिंग रोड तक फिर शाहदरा रिंग रोड की पूर्वी दिशा पर मुड़कर मन्डोली-फाल्पुरा पुर गांव के नदी किनारे शाहदरा तक ।

दक्षिण :- रिंग रोड की उत्तरी सीमा पर दिल्ली-यू.पी. सीमा से शाहदरा रिंग रोड पर इसके जंक्शन तक ।

संख्या संख्या 2

पूर्व :- लोनी रोड की पश्चिमी दिशा पर इसके जंक्शन जी. टी. रोड से दिल्ली-यू.पी. सीमा तक ।

उत्तर :- दिल्ली-यू.पी. सीमा पर लोनी रोड पर इसके जंक्शन से गांव मोहलपुर तक और नजीरबाद रोड की दक्षिण दिशा पर एक से. प्र. मोहलपुर (मोहल) के पास के रोड पर इसके जंक्शन से पूर्व मण्डला नगर (प्रोक्त पुरी) के जंक्शन तक ।

पश्चिम :- लोनी रोड की पूर्वी दिशा पर इसके जंक्शन जी. टी. रोड पर (दिल्ली-यू.पी. सीमा) से नजीरबाद रोड तक और फिर पूर्व-यमुना नहर की पूर्वी दिशा पर नजीरबाद रोड पर इसके जंक्शन से जी. टी. रोड पर मण्डला नगर तक ।

दक्षिण :- जी. टी. रोड की उत्तरी दिशा पर इसके जंक्शन, मण्डला नगर जो नई बस्ती सीतलपुर (फेज 1 और 2) के पास से लोनी रोड के जंक्शन तक ।

नरेंद्र प्रसाद, आयुक्त

OFFICE OF THE COMMISSIONER : FOOD & SUPPLIES / CONSUMER AFFAIRS DEPTT.

ORDER

Delhi, the 19th October, 1989

No.F.3(2)/89-F&S(P&C)/17386. — In exercise of the powers under clause 17 of the Delhi Specified Food Articles (Regulation of Distribution) Order, 1981 and in partial modification of the order No. F.2(4)/68-73/CCR(P&C) dated the 19th October, 1973, I, Narendra Prasad, Commissioner, Food, Supplies & Consumer Affairs, Delhi do hereby order the re-demarcation of the boundaries of Circle No. 1 & 2 to be as under :

Circle No. 1	Boundaries
East	Delhi-U.P. Border from Ring Railway upto village Mandholi.
North :	Gokulpur east & Amar Colony, Harijan Basti Delhi-U.P. Border from Mandholi upto Loni Road.
West :	Eastern side of Loni Road from Delhi-U.P. Border upto its junction with G.T. Road, then alongwith the Southern Side of G.T. Road upto Police Station, Shahdra, then towards the Railway line along an imaginary line upto Ring Road (Shahdra) then move alongwith the eastern side of Shahdra Ring Road upto Railway line near Mandholi—Fazalpur village.
South :	Northern side of Ring Railway from Delhi U.P. Border upto its junction with Shahdra Ring Road.
Circle No. II	
East :	Western side of Loni Road with its junction from G.T. Road upto Delhi U.P. Border.
North :	Delhi U.P. Border from its crossing with Loni Road upto village Johripur and the Southern side of Wazirabad Road with its junction from the road near FCI godown (Ghonda) upto crossing of Eastern Yamuna Canal (Gokulpuri).
West :	Eastern side of the road with its junction from Johripur (Delhi-U.P. Border) to Wazirabad Road and then eastern side of eastern Yamuna Canal from its junction with Wazirabad Road upto Marginal Bandh at G.T. Road.
South :	Northern side of G.T. Road from its junction with Marginal Bandh adjacent to New Basti Seelampur (Phase I & II) upto crossing with Loni Road.

NARENDRA PRASAD, Commissioner.